आदेश की क्रम सं0 और तारीख	**उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।** (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) **रिमाण्ड अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0–14/2012** **अरविन्द कुमार –बनाम– राज्य**	ओदश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
17.07.2020	अभिलेख उपस्थापित। यह अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, राँची के W.P.(C) No.-7487/2011, अरविन्द कुमार –बनाम– राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.04.2012 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :– अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के आदेश ज्ञापांक 529/आ0, दिनांक 20.12.2006 द्वारा वादी अरविन्द कुमार के ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति सं0–09/1990 को रद्द किया गया है। वादी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में लाइसेंस अपीलवाद सं0–05/2011 दायर किया गया। तत्कालीन उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा Huge delay appeal के आधार पर अपील खारीज कर दिया गया। तत्पश्चात वादी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(C) No.-7487/2011 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2012 के आलोक में अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपीलवाद द्वारा किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। **अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का निम्न अभिकथन है :–** 1. यह कि, अपीलार्थी द्वारा लाइसेंस से संबंधित किसी भी नियम व कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। 2. यह कि, शिकायतकर्त्ताओं में से बालेश्वर साव, महेन्द्र साव एवं संतोष कुमार द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से यह घोषणा किया गया है कि उक्त ज0वि0प्र0 विक्रेता से राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। 3. यह कि, अपीलार्थी द्वारा स्टॉक पंजी, बिक्री पंजी आदि में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। 4. यह कि, अपीलार्थी द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापत्र एकीकरण आदेश, 1984 के तहत् अनुज्ञप्ति शर्त से संबंधित किसी भी प्रकार के नियम व कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। 5. यह कि, अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को ज0वि0प्र0 अनु0 सं0 09/90 पुर्नबहाल करने की कृपा की जाय।	

अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2006 में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–

1. यह कि, ज0वि0प्र0 विक्रेता अनु0 सं0–09/90 की जाँच के समय दुकान में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किरासन तेल भण्डार पंजी में काफी अनियमितता पायी गयी।
2. यह कि, जाँच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा उक्त ज0वि0प्र0 विक्रेता के विरूद्ध शिकायत की गयी कि समय पर दुकान नहीं खोला जाता है एवं तीन–चार बार लौटाने के बाद भी सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जाती है।
3. यह कि, किरासन तेल के बिक्री पंजी में अंकित उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा उनका हस्ताक्षर होने से इन्कार किया गया। साथ ही अपने राशन कार्ड को अन्य ज0वि0प्र0 विक्रेता के पास स्थानान्तरित करने का भी अनुरोध किया गया।
4. यह कि, अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से किरासन तेल की कालाबाजारी की गई है।
5. यह कि, अपीलार्थी द्वारा बी0पी0एल0 खाद्यान के उठाव में भी अनियमितता बरती जाती है।
6. यह कि, अपीलार्थी द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापत्र एकीकरण आदेश, 1984 के तहत् निर्गत अनुज्ञप्ति के शर्त सं0–05 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के तहत् अपीलार्थी/ज0वि0प्र0 विक्रेता, धनवार के अनुज्ञप्ति सं0–09/90 को रद्द किया गया है।

सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा उक्त अपीलवाद को खारीज करने योग्य बताया गया है।

–: आदेश :–

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के पक्ष को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोंपरांत अपीलकर्त्ता के अपील को खारीज किया जाता है। संबंधित पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।